**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी–पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 455/16** **निर्णय दिनांकः–** 31-3-21
**(जीसीएमएस संख्या 2016/00204)**

1. ईश्वरराम पुत्र जीवनराम जाति मेघवाल निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

**–बनाम–**

1. शारदा पत्नी लक्ष्मणराम जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत नम्बर 2 मुकमा बज्जू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29–07–2011**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मु. बीकानेर**

**उपस्थितिः–**

1. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक अपीलांट

**–निर्णय–**

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29–07–2011 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 12:23:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि वाके चक 2 जीएम के मुरब्बा नम्बर 160/11 के किला नम्बर 18, 19, 23, 24 तादादी 3 बीघा 14 बिस्वा एवं मुरब्बा नम्बर 160/12 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 तादादी 20 बीघा जिसमें से 13 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड एवं 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि निहित है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 15एएए (2ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 14—10—2008 को प्रदान किये जाने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का इंतकाल संख्या 118 दिनांक 30—11—2009 राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। वादग्रस्त भूमि चक 2 जीएम के मुरब्बा नम्बर 160/11 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 पर अपीलांट का वास्तविक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में मौके पर सरसों की फसल खड़ी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि—धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीतहोने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 12:23:29 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। इस संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त हो, तो ऐसे प्रकरणों में मियांद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपील के के साथ मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 12:23:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 2 जीएम के मुरब्बा नम्बर 160/11 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 तादादी 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि का स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन किया। प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट् के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जॉच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बें में ही शेष भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है। उक्त रिपोर्ट मे पटवारी द्वारा अपीलांट को गैरखातेदार अंकित किया गया है व उसी अनुरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन पात्र नहीं माना गया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा खातेदारी सनद् दिनांक 14—10—2008 के अवलोकन से यह साबित है कि अपीलांट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार वर्ष 2008 में ही प्राप्त हो चुके थे, जबकि पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट वर्ष 2011 में प्रेषित की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित काश्तकार व अपीलांट जिसके धारण में इसी मुरब्बे में भूमि निहित होने पर भी अपीलांट को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार [illegible] भूखण्ड आवंटन प्रथम वरियता के आधार पर अनुशंसा की गई है। [illegible] अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 12:23:29 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नियम, 1975 के नियम 14 के तहत स्माल पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बें में निहित अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—07—2011 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31-3-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 12:23:29 IST
Reason: SelfAttested